इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 478]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 सितम्बर 2017-भाद्र 13, शक 1939

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2017

क्र. एफ-3-44-2012-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 2000 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 15 में, उप नियम (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(ख) ऐसे सहायक ग्रेड-दो एवं सहायक ग्रेड-तीन, जिन्होंने 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परन्तु लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं की है, तथा ज्येष्ठता सह योग्यता धारण करते हैं. भी लेखपाल एवं उससे उच्च पदों पर पदोन्नित प्राप्त करने की पात्रता होगी.''

No. F-3-44-2012-X-1.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class-III (Ministerial) Forest Service Recruitment Rules, 2000, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rules 15, in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) Such Assistant Grade-II and Assistant Grade-III who have completed 45 year of age but have not passed accounts training and hold seniority cum merit, shall also be eligible for promotion in accountant and higher posts."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

केप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.